न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 03 / 2024

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 वालीदेवी पुत्री देराजराम पत्नी केसाराम जाति जाट निवासी धन्नो का तला हाल जांदूओं की नाडी, हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत बाडमेर शिवकर जरिये सरपंच 2 रावताराम पुत्र देराजराम निवासी धन्नो का तला शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण 3 अणदू पुत्री देराजराम पत्नी उगराराम निवासी धन्नो का तला शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण हाल निवासी लूखों का तला गंगासरा 4 खेतु पुत्री देराजराम निवासी निवासी धन्नो का तला शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण हाल निवासी एड अमरसिंह तहसील रिणधरी 5 गोमी पुत्री देराजराम पत्नी धर्माराम निवासी निवासी धन्नो का तला शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण हाल निवासी रामपुरा गरल तहसील बाडमेर 6 पन्नाराम पुत्र चुताराराम निवासी निवासी धन्नो का तला शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री वीरमाराम चौधरी, वकील अपीलकर्ता।

आदेश

दिनांक 24.01.2025

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धन्नो का तला वर्तमान ग्राम दौलत नगर के खेत खसरा संख्या 832, 833 व 837 रकवा 196.09 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 02 से 05 के पिता स्व. देराजराम पुत्र भेराराम के नाम खातेदारी की आई हुई थी। उनके विधिक वारिशान अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 02 से 05 है। उनके देहान्त पर विरासतन का नामान्तकरण संख्या 130 उतरदाता संख्या 01 द्वारा विना विधिक वारिशान की जाचं कर उतरदाता संख्या 02 से सांठगांठ कर उतरदाता संख्या 02 व पन्नीदेवी के नाम से गलत रूप से भरवा दिया जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 06 के तहत अपीलकर्ता व उतदाता संख्या 02 से 05 देराजराम पुत्र भोमाराम के विधिक वारिशान है। अपीलकर्ता व उतरतदाता संख्या 02 से 05 के नाम नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलककर्ता द्वारा सर्वप्रथम पटवारी हल्का शिवकर से अपीलाधीन भूमि के खातेदारी रेकर्ड की जानकारी ली तब दिनांक 14.12.2023 को ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 03 से 05 के नाम खातेदारी में अंकित नही है तब अपने अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ता द्वारा रेकर्ड की जांच [illegible] नामान्तकरण संख्या 130 खोलते समय उतरदाता संख्या 02 व पन्नीदेवी के [illegible] अपी[illegible] के नाम अंकित नही हुआ जो विधि द्वारा वर्जित है। देराजराम [illegible] का नामान्तकरण संख्या 130 को स्वीकृत कर भरा गया था जो उतरदाता संख्या 02 ने उतरदाता [illegible] मिलकर मृतक देराजराम के वारिश मात्र उतरदाता संख्या 02 व माता पन्नीदेवी के नाम [illegible] करवा लिया तथा पटवारी हल्का ने नामान्तकरण की कार्यवाही खोलेते समय अपीलान्ट का नाम साथ में अंकित नही किया जबकि मृतक देराजराम अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 से 05 के पिता थे। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश व अनपढ महिला होने से उक्त नामान्तकरण का ज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:08:49 IST
Reason: SelfAttested

…ा। अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड की नकले मांगी तब अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण संख्या 130 को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। अपीलान्ट के पिता देराजराम का स्वर्गवास सन् 2005 को हो गया तथा पन्नीदेवी का देहान्त हो चुका है। देराजराम की फौतेगी का नामान्तकरण संख्या 130 पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तकरण खोला गया जो अशुद्ध है, जिसे निरस्त कर शुद्ध नामान्तकरण पारित किये जाने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए अवगत करवाया कि अपीलककर्ता द्वारा सर्वप्रथम पटवारी हल्का शिवकर से अपीलाधीन भूमि के खातेदारी रेकर्ड की जानकारी ली तब दिनांक 14.12.2023 को ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 03 से 05 के नाम खातेदारी में अंकित नही है तब अपने अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ता द्वारा रेकर्ड की जांच करवाने पर ज्ञात हुआ कि नामान्तकरण संख्या 130 खोलते समय उतरदाता संख्या 02 व पन्नीदेवी के साथ अपीलकर्ता के नाम अंकित नही हुआ जो विधि द्वारा वर्जित है। अपीलान्ट को दिनांक 14.12.2023 को नामान्तकरण की नकले प्राप्त करने पर उक्त गलत फौतेदगी नामान्तकरण का ज्ञान हुआ। जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील की गई है। अपील अन्दर म्याद सुमार कर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

वकील अपीलकर्ता को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता से अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलाधीन भूमि में स्वर्गीय देराजराम की फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 20.06.2006 में स्व. देराजराम पुत्र भोमा के विधिक वारिशान की जांच किये बिना उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित किया गया है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा धन्ने का तला वर्तमान ग्राम दौलत नगर पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 832 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 833 रकबा 14.1478 हैक्टेयर व खसरा संख्या 837 रकबा 17.6119 हैक्टेयर भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 20.06.2006 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि देराजराम पुत्र भोमाराम के विधिक वारिसान की जांच करते हुए बाद जांच नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा राजस्व अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:08:49 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर